निविदा प्रपत्र सं0: ....

पोपुलर वृक्ष नीलामी हेतु मोहरबन्द निविदा प्रपत्र

निविदा सं0: सवप/2025–26/

(निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 1500/– कर सहित)

नीलामी की शर्तें

विश्वविद्यालय के चिरौडी खण्ड अ एवं ब पर खडे पोपुलर के कुल 720 पेडों की नीलामी सील बन्द लिफाफों के माध्यम से दिनांक 27.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाएगी। क्रय के इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरेंगे।
जिसकी नियम व शर्ते निम्न हैं।

1. निविदा प्रपत्र अधिष्ठाता, उद्यान महाविद्यालय के कार्यालय से रू0 1500/– के नगद भुगतान कर किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं। प्रपत्र में सभी जानकारियां स्पष्ट रूप से भरकर अधिष्ठाता, उद्यान महाविद्यालय कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से दिनांक 27/05/2025 को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक निविदा डाली जाएगी। कुटेशनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद निविदा दिनांक 28.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे ठेकेदारों के सामने खोली जाएगी।
2. नीलामी जैसा है जहाँ के आधार पर एक बार में की जायेगी। इच्छुक केता को नीलामी प्रपत्र कय करने के बाद नीलामी में भाग लेने से पूर्व रू0 50000/– (प्रत्येक बोलीदाता) को जमानत धनराशि का **बैंक ड्राफ्ट वित्त नियंत्रक, सवपकृ एवं प्रौ0वि0, मेरठ शाखा कोड SBIN0010653** के पक्ष में देय होगा, केवल बोलीदाता ही नीलामी खोलने के समय उपस्थित रहेगे।
3. उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी उसको कुल मूल्य का 25 प्रतिशत की धनराशि दिनांक 28/05/2025 को विश्वविद्यालय के **खाता संख्या 30177567576 आई0एफ0एस0सी0 कोड SBIN0010653** में नगद/ऑनलाईन जमा कर रसीद उपलब्ध करानी होगी। उसके पश्चात ही पत्रावली स्वीकृत हेतु प्रेषित की जाएगी। सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कटाई से पूर्व ही शेष 75 प्रतिशत धनराशि भी विश्वविद्यालय खाते में नियमानुसार जमा करानी होगी।
4. उच्चतम बोली देने वाले व्यक्ति जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी, अधिकतम बोलीदाता को (निविदा) शेष 75 प्रतिशत धनराशि आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। तदोपरान्त ही निविदादाता को अपने खर्चे पर वृक्षों को काटने की अनुमति दी जायेगी।
5. सफल निविदादाता के द्वारा जमा की गयी जमानत राशि का ड्राफ्ट रू० 50000/– (रु० पचास हजार मात्र) की वापसी नीलाम किये गये समस्त वृक्षों की शर्तो के अनुसार कटान कार्य सम्पन्न करने उपरान्त ही की जायेगी। शेष निविदाताओं का ड्राफ्ट विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय के द्वारा नीलामी स्वीकृति/अस्वीकृति उपरान्त वापस कर दी जाएगी।
6. वृक्षों की नीलामी से सम्बन्धित सभी कर एवं शुल्क आदि क्रेता (निविदादाता) द्वारा स्वयं जमा करने होगे। इसके अतिरिक्त अन्य खर्च जो भी देय होगे क्रेता को स्वयं वहन करना होगा तथा विश्वविद्यालय को उक्त आशय के सम्बन्ध में रू0 10/– (रू० दस मात्र) का शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित लिखित रूप से पेड़ कटान प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करना होगा।
7. क्रेता द्वारा उपरोक्त वृक्षों को कटान के सन्दर्भ में आवश्यक स्वीकृतियॉ वन विभाग से स्वयं (निविदादाता) को प्राप्त करनी होगी तथा वृक्षों के काटने के नियमों व शर्तो का पूर्णतयः पालन करना होगा।
8. नीलामी से सम्बन्धित किसी वाद–विवाद के उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय एक मात्र मध्यस्थ होगें जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

9. नीलामी के पश्चात् किसी भी प्रकार का दैवीय प्रकोप (आंधी, तूफान एवं वर्षा के कारण वृक्षों को नुकसान आदि) होने पर विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा और न ही धनराशि में विश्वविद्यालय द्वारा छूट की जायेगी।
10. वृक्षों की कटाई जड़ सहित करनी होगी यदि कटाई उपरान्त वृक्षों की जड़ों को जमीन से नहीं निकालने की स्थिति में अथवा शर्तो के पालन न करने की दशा अथवा यदि केता द्वारा विश्वविद्यालय सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो केता को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। अथवा जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। मूल्यांकित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन अवैध रूप से न होने पाये।
11. उपरोक्त मूल्यांकित वृक्षों के नीलामी के समय संबधित वन क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी जिससे राजस्व की हानि न होने पाये। नीलानी में नामित व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह देखे कि प्रचार–प्रसार ठीक प्रकार से हुआ है अथवा नहीं। नीलानी के समय ठेकेदारों का समूह न बनने पायें। इस बात का भी ध्यान रखा जायें।
12. नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने वाले वृक्षों के पातन हेतु संबंधित क्रेता द्वारा शासनादेश संख्या 1245/14–5–2010–91/2010 वन अनुभाग 5 दिनांक 10.8.2010 के अनुपालन में पातन अनुमति शुल्क प्रति वृक्ष रूपये 100.00 अर्थात कुल रू0 72000.00 (रूपये बहात्तर हजार मात्र) जमा करते हुए प्रभागीय निदेशक, मेरठ के कार्यालय से नियमानुसार पातन अनुनति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
13. उक्त मूल्यांकित वृक्षों का पातन किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल परिवर्तन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या 24/81–5–2020–07–93 दिनांक 7 जनवरी 2020 के अनुपालन में उपयुक्त स्थल पर दस गुना फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण आगानी वर्षाकाल में करना अनिवार्य होगा। केता द्वारा पौधारोपण की जनानत के रूप में रू0 7,20,000.00 धनराशि के छः वर्षीय बचत पत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ के पदनाम से बन्धक कराकर जमा करानी होगी।
14. केता को वृक्षों के पातन से उत्पादित प्रकोष्ठ के अनिवहन हेतु रू० 38.00 प्रति टन वन विभाग में जमा कराकर अनिवहन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनिवहन पास प्राप्त किये प्रकोष्ठ का अनिवहन न किया जाये।
15. मा0 कुलपति, स.व.प.कृषि एवं प्रौद्यो. विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा अनुनोदन के उपरान्त ही उच्चतम दरें मान्य होंगी।
16. निविदा की कार्यवाही को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण कार्यवाही को बिना कारण बताये निरस्त करने का सर्वाधिकार मा0 कुलपति, स.व.प.कृषि एवं प्रौद्यो. विश्वविद्यालय, मेरठ को होगा।
17. फर्म एवं विश्वविद्यालय के मध्य विवाद की यदि कोई स्थिति होती है तो उसका निस्तारण जनपद मेरठ न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
18. क्रय प्रपत्र में लगाए गए मूल्य को स्वीकार करना या न करना अथवा रद्द करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन में पूर्ण निहित होगा।
19. जी0एस0टी0/सी0जी0एस0टी0 या अन्य किसी प्रकार के स्थानीय टैक्स का उत्तरदायी क्रेता का होगा।
20. निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये लिफाफे में सील बंद कर अन्य प्रपत्रों के साथ लिफाफे में रखकर सील करें तथा मुख्य लिफाफे के ऊपर निम्न सूचना अंकित करें।

अ. पोपुलर नीलामी हेतु मोहरबन्द निविदा प्रपत्र

ब. निविदा सं0

स. बोलीदाता/फर्म का नाम व पता

अध्यक्ष, नीलामी समिति

वित्तीय बिड

केता (कुटेशन दाता) का विवरण:

1. केता का नाम..
2. केता का पूरा पता व मोबाईल नं0..
   ....
3. केता का आधार संख्या (छायाप्रति संलग्न करे)..
4. टिन संख्या (यदि लागू हो तो)..
5. आयकर पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो तो)..
6. पैन संख्या..
7. केता द्वारा कुल 720 पेडों की बिकी कुल आंकी गई/लगाई गई कुल धनराशि (मुल्य)..
   रूपये (अंको में)..
   रूपये (शब्दों में)..

घोषणा

मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार पोपुलर के सभी चिन्हित 720 पेडों का भलीभांति निरीक्षण कर लिया गया है एवं उपरोक्त सभी शर्तो पर अपनी सहमति देते हुए कार्यवाही करने के लिए तैयार हूँ।

(केता के हस्ताक्षर पूर्ण नाम व तारिख सहित)

मो0 नं0: ....